## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| उपस्थित | **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।** |
| प्रार्थी | **सर्वश्री चन्द्रा मेटल्स लि0, 1, 2, 7, 14 व 18 MNNIT, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, तेलिअरगंज, इलाहाबाद।** |
| प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक | **096 / 10, 18.10.2010** |
| प्रार्थी की ओर से | **कोई उपस्थित नहीं हुआ।** |

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री चन्द्रा मेटल्स लि0, 1, 2, 7, 14 व 18 MNNIT, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, तेलिअरगंज, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 18.10.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' प्रान्त बाहर स्थित सरकारी विभाग को बिना फार्म-सी के बिक्री किये गये माल पर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर की दर '' जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 13.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि Copper wires के निर्माण व बिक्री का कार्य करते हैं। इनकी समस्त बिक्री सरकारी विभागों विशेष रूप से भारतीय रेलवे को की जाती है। भारतीय रेलवे के कई प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर हैं जिनको बिना फार्म-सी के Copper wires की बिक्री किये जाने पर कर की दर में विशेष अतिरिक्त कर सम्मिलित होगा अथवा नहीं यह स्थिति स्पष्ट नहीं है जिसे स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-254, दिनांक 16.11.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-8 (2) के अनुसार बिना फार्म-सी के केन्द्रीय बिक्री पर प्रदेश के अन्दर बिक्री पर लागू कर की दर के अनुसार कर देय होगा। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ag) के अन्तर्गत टैक्स को परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-796 (2) 79-V-1-09-2 (KA) 1 / 2009, दिनांक 27.05.2009 की धारा-2 के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ag) में क्लॉज (iii) को निम्न प्रकार से जोड़ा गया है :-

(iii) the amount of additional tax leviable under section 3-A

अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ag) के अन्तर्गत परिभाषित '' टैक्स '' में additional tax को सम्मिलित कर दिया गया है अर्थात additional tax भी टैक्स का अभिन्न भाग है।

अत: व्यापारी द्वारा निर्मित वस्तु की बिना फार्म-सी से की गयी केन्द्रीय बिक्री पर दिनांक 01.06.2009 से 18.02.2010 तक 4.5% की दर से एवं दिनांक 19.02.2010 से आगे 5% की दर से करदेयता बनती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत

....2

<u>सर्वश्री चन्द्रा मेटल्स लि0 / प्रा0 पत्र सं0-096 / 10 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

जिस प्रश्न के समाधान की प्रार्थना की गई है कि बिना फार्म-सी के केन्द्रीय बिक्री में कर की दर के साथ विशेष अतिरिक्त कर (SAT) सम्मिलित होगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में पूर्व में ही कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-12 / 10 सर्वश्री हर्ष ट्रेडर्स, 51 / 104, लाल फाटक, शक्कर पट्टी, कानपुर में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2010 एवं प्रार्थना-पत्र संख्या-7 / 10 सर्वश्री यूनाइटेड कनसेप्ट्स एण्ड सोल्यूशन प्रा0 लि। सी-34, सेक्टर-57, नोएडा में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2010 के द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए बिना फार्म-सी के की गयी केन्द्रीय बिक्री पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर देय कर की दर के साथ विशेष अतिरिक्त कर को भी सम्मिलित होना माना गया है। पुन: समान प्रश्न का उत्तर दिया जाना वाँछित नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि बिना फार्म-सी के की गयी केन्द्रीय बिक्री पर आरोपित होने वाले प्रान्तीय कर की दर के साथ विशेष अतिरिक्त कर भी सम्मिलित रहेगा अथवा नहीं के सम्बन्ध में पूर्व में ही उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-12 / 10 सर्वश्री हर्ष ट्रेडर्स, 51 / 104, लाल फाटक, शक्कर पट्टी, कानपुर में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2010 एवं प्रार्थना-पत्र संख्या-7 / 10 सर्वश्री यूनाइटेड कनसेप्ट्स एण्ड सोल्यूशन प्रा0 लि। सी-34, सेक्टर-57, नोएडा में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2010 के द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। पुन: प्रश्न का उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 21 मार्च, 2014 ह0 / 21.03.2014

**(मृत्युंजय कुमार नारायण)**
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।